न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0
प्रार्थना–पत्र सं0 : 12 सन 2022
अनवान :–

1. अनकोरी पुत्री सुगनी पत्नी हेतराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. काशीराम पुत्र महावीर जाति मेधवाल निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर ।
2. तुलछाराम पुत्र गोरखाराम उर्फ गौरखा जाति मेधवाल निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. देवीलाल पुत्र गोरखाराम उर्फ गोरखा जाति मेधवाल निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. बेगराज पुत्र महावीर जाति मेधवाल निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. भंवरलाल पुत्र गोरखाराम उर्फ गोरखा जाति मेधवाल निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. रूपराम पुत्र गोरखाराम उर्फ गोरखा जाति मेधवाल निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. रेशमा पुत्री गोरखाराम उर्फ गोरखा जाति मेधवाल निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. लिछमा पत्नी गोरखाराम उर्फ गोरखा जाति मेधवाल निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
9. सुमन पुत्री महावीर जाति मेधवाल निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया
10. सरबती पुत्री गोरखाराम उर्फ गौरखा जाति मेधवाल निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
11. सरस्वती पत्नी महावीर जाति मेधवाल निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
13. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता सायल
श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता
गैरसायल संख्या 1 ता 11

निर्णय दिनांक :– 04/05/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मोजा किकराली के खाता संख्या 19/17 की कुल 12.6210हैक भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज है।

उक्त मुश्तरका खाता की भूमि में सायला 2402/12621 हिस्सा , गैरसायल संख्या 1 का 2389/403872 हिस्सा, गैरसायल संख्या 2 का 2389/100968हिस्सा गैरसायल संख्या 3 का 2389/100968हिस्सा गैरसायल संख्या 4 का 2389/403872 हिस्सा , गैरसायल संख्या 5 का 2389/100968हिस्सा , गैरसायल संख्या 6 का 2389/100968हिस्सा गैरसायल संख्या 7 का 2389/100968हिस्सा , गैरसायल संख्या 8 का 2389/100968हिस्सा गैरसायल संख्या 9 का 2389/403872 हिस्सा, गैरसायल संख्या 10 का 2389/100968हिस्सा गैरसायल संख्या 11 का 2389/103872 हिस्सा, गैरसायल संख्या 13 का 214/1803 हिस्सा गैरसायल संख्या 14 का 538/4207 हिस्सा गैरसायल संख्या 15 का 214/9015 हिस्सा गैरसायल संख्या 16 का 214/9015हिस्सा , गैरसायल संख्या 17 का 214/9015हिस्सा गैरसायल संख्या 18 का 598/12621 हिस्सा गैरसायल संख्या 19 का 214/9015हिस्सा गैरसायल संख्या 20 का 214/9015 हिस्सा गैरसायल संख्या 21 का 874/4207 हिस्सा दर्ज है।

वाद भूमि मुश्तका खाते में होने के कारण गैरसायलान व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सायला के कब्जा काश्त व लगान एव सीव डोल को लेकर झगडा रहता है इसलिये सायला वाद भूमि का खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त के अलग अलग दर्ज करवाने की अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
नोहर

Scanned with CamScanner

सायला ने अपने कब्जे काश्त व हक हिस्सा की भूमि को उपजाउ व उम्दा किस्म की तैयार की गई जिसमे काफी पेश श्रम लगा है जबकि गैरसायलान ने अपनी भूमि की कभी भी देखभाल नही की गई है अब गैरसायलान वाद भूमि का खाता विभाजन करवाये बिना ही विशेष हिस्से की भूमि जो सायला ने उपजाउ बनाई है को बेचान करना चाहते है सायला के द्वारा उपजाउ बनाई गई भूमि पर कोई अजनबी व्यक्ति काबिज हो जाता है तो सायला को ना पूरा होने वाला नुकसान होता है एव अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायला गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने की अधिकारी है कि गैरसायलान मुश्तरका खाते की भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान नही करे एव सायला के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा नही करे।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा किकराली के खाता संख्या 19/17 की कुल 12.6210हैक भूमि में से गैरसायलान विशेष हिस्से का बेचान नही करे एवं सायला के कब्जा काश्त में मदाख्लत बेजा नही करे सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायलान 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

सायला का प्रार्थना पत्र आधारहीन है तथा बिना किसी नियम कानुन कायदे के प्रस्तुत किया गया है गैरसायलान वादग्रस्त भूमि के सहकाश्तकार है तथा सहकाश्तकार के खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायला ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्थाई निषेधाज्ञा के कोई प्रावधान पुरे नही करते है प्रार्थना पत्र सायला से जैर दफा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति साबित नही है इसलिये सायला के प्रार्थना पत्र ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म होने से तुलनात्मक रूप से गैरसायलान उतरदाता को ज्यादा नुकसान होता है।

सहकाश्तकार को कानून में अपना हिस्सा वैय करने से कोई रोक नही है इसलिये एक सहकाश्तकार अन्य सहकाश्तकार को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद करने से कतई अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र सायला इसी आधार पर काबिल खारीज है सायला न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आई है सहखातेदारों को हैरान पेरशान करने की नियत से बिना नियम कानुनी के प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इसलिये सायला किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नही है सायला का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायलान का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा किकराली के खाता संख्या 19/17 की कुल 12.6210हैक भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज है।

उक्त मुश्तरका खाता की भूमि में सायला 2402/12621 हिस्सा , गैरसायल संख्या 1 का 2389/403872 हिस्सा, गैरसायल संख्या 2 का 2389/100968हिस्सा गैरसायल संख्या 3 का 2389/100968हिस्सा गैरसायल संख्या 4 का 2389/403872 हिस्सा , गैरसायल संख्या 5 का 2389/100968हिस्सा , गैरसायल संख्या 6 का 2389/100968हिस्सा गैरसायल संख्या 7 का 2389/100968हिस्सा , गैरसायल संख्या 8 का 2389/100968हिस्सा गैरसायल संख्या 9 का 2389/403872 हिस्सा, गैरसायल संख्या 10 का 2389/100968हिस्सा गैरसायल संख्या 11 का 2389/103872 हिस्सा, गैरसायल संख्या 13 का 214/1803 हिस्सा गैरसायल संख्या 14 का 538/4207 हिस्सा गैरसायल संख्या 15 का 214/9015 हिस्सा गैरसायल संख्या 16 का 214/9015हिस्सा , गैरसायल संख्या 17 का 214/9015हिस्सा गैरसायल संख्या 18 का 598/12621 हिस्सा गैरसायल संख्या 19 का 214/9015हिस्सा गैरसायल संख्या 20 का 214/9015 हिस्सा गैरसायल संख्या 21 का 874/4207 हिस्सा दर्ज है।

वाद भूमि मुश्तका खाते में होने के कारण गैरसायलान व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सायला के कब्जा काश्त व लगान एव सीव डोल को लेकर झगडा रहता है इसलिये सायला वाद भूमि का खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त के अलग अलग दर्ज करवाने की अधिकारी है।

सायला ने अपने कब्जे काश्त व हक हिस्सा की भूमि को उपजाउ व उम्दा किस्म की तैयार की गई जिसमे काफी पेश श्रम लगा है जबकि गैरसायलान ने अपनी भूमि की कभी भी देखभाल नही की गई है अब गैरसायलान वाद भूमि का खाता विभाजन करवाये बिना ही विशेष हिस्से की भूमि जो सायला ने उपजाउ बनाई है को बेचान करना चाहते है सायला के द्वारा उपजाउ बनाई गई भूमि पर कोई अजनबी व्यक्ति काबिज हो जाता है तो सायला को ना पूरा होने वाला नुकसान होता है एव अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायला गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने की अधिकारी है कि गैरसायलान मुश्तरका खाते की भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान नही करे एव सायला के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा नही करे सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 1 ता 11 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायला का प्रार्थना पत्र आधारहीन है तथा बिना किसी नियम कानुन कायदे के प्रस्तुत किया गया है गैरसायलान वादग्रस्त भूमि के सहकाश्तकार है

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

तथा सहकाश्तकार के खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है सायला ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्थाई निषेधाज्ञा के कोई प्रावधान पुरे नही करते है प्रार्थना पत्र सायला से जैर दफा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति साबित नही है इसलिये सायला के प्रार्थना पत्र ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म होने से तुलनात्मक रूप से गैरसायलान उतरदाता को ज्यादा नुकसान होता है।

सहकाश्तकार को कानून में अपना हिस्सा बैय करने से कोई रोक नही है इसलिये एक सहकाश्तकार अन्य सहकाश्तकार को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पावंद करने से कतई अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र सायला इसी आधार पर काबिल खारीज है सायला न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आई है सहखातेदारों को हैरान पेरशान करने की नियत से बिना नियम कानुनी के प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इसलिये सायला किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नही है सायला का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सयुक्त खाते के काश्तकार किसप्रकार से वाद भूमि का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मोजा किकराली के खाता संख्या 19/17 की कुल 12.6210हैक भूमि सायला एवं गैरसायल संख्या 1 ता 11 एव वाद के तरतीवी प्रतिवादी संख्या 16 ता 21 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षों के पक्ष में पाया जाता है।

सायला का कथन है कि उसके द्वारा वाद भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि को मेहनत /पेशा खर्च कर उपजाउ बनाया गया है जिसे गैरसायल बेचान करने पर उतारू है तथा गैरसायलान का कथन है कि सहकाश्तकारों को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है।

सायला एवं गैरसायलान संख्या 1 ता 11 दोनो के ही कथन स्वीकार योग्य नही है यह सही है कि वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसका खाता विभाजन का वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

सायला का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर सायला एवं गैरसायलान दोनो पक्षों को पाबन्द किया गया था कि वाद भूमि में से किसी विशेष हिस्से का बेचान नही करे सायला एवं गैरसायलान को अपने हक हिस्सा की भूमि बेचान करने के लिये पाबन्द नही किया गया है।

न्यायालय में सायला के द्वारा प्रस्तुत किया गया खाता विभाजन का वाद विचाराधीन है जिसमें सायला एव गैरसायलान के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय होगा की उभयपक्ष किसप्रकार से खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है तब तक उभयपक्षों को वाद भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान नही करने हेतु पाबन्द रखा जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु उभयपक्षों में सामान रूप सें साबित/पाये जाने के कारण कार्यालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.01.2022 को ताफैसला कन्फर्म किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों (सायला एवं गैरसालान) वाद भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान ताफैसला दावा नही करे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner